[illegible]

जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक [illegible] की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible] को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा मौलिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद की अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित [illegible] तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान में वादी एवं प्रतिवादी भंवरलाल, महेन्द्र, शिवराज ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को [illegible] बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि [illegible] देवी पत्नी भंवरलाल, जिमनाराम पुत्र सीताराम तथा [illegible] की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होंने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा अंतिम बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः खेत खसरा नं. 325/1, 654/311 मौजा सिलारिया तहसील–जायल में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त डीक्री प्रस्ताव अनुसार इस वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नं. 325/1, 654/311 मौजा सिलारिया तहसील–जायल में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त डीक्री प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 व 2 क्रमश शिवराज व महेन्द्र के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सिलारिया का खेत खसरा नंबर 325/1 रकबा [illegible] हैक्टेयर रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सिलारिया का खेत खसरा नंबर 654/311 रकबा 0.7932 हैक्टेयर रखा गया है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त डीक्री प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner